कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo _uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या–1871/XXV–12(13)/2018 देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्री किशनसिंह,
ग्राम पत्तापानी, डाकघर, बैलपड़ाव,
जिला नैनीताल।

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/सहायक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–530 दिनांक 19.9.2023 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 14.8.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें मांगी गयी सूचनायें कार्यालय में धारित नहीं हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,
मो0नं0–9897995591

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–9411740189

पत्रवाहक/पंजीकृत

प्राप्त - 20/9/23

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–530 /सू0का0अ0/3050/2021 दिनांक 19 सितम्बर, 2023

<u>"सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"</u>

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री किशन सिंह, ग्राम पत्तापानी, डाकघर बैलपड़ाव, जिला नैनीताल द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांकित 14.08.2023 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 15.09.2023 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार रू0 10.00 के भारतीय पोस्टल आर्डर भी आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके विभाग से संबंधित हैं, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचनाएं नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0 7302254903

<u>संख्या– /सू0का0अ0/3050/2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)</u>

<u>प्रतिलिपिः–</u> श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, डाकघर–बैलपड़ाव, जिला नैनीताल को सूचनार्थ।

(राजुकमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

श्री विकास

123
15/09/23

15.9.2023
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सेवा में
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
R-1105/23 राज्य निर्वाचन आयोग
F-3050/21 निर्वाचन भवन, लाड पुर, रिंग रोड
कार्यालय - देहरादून

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम-पत्तापानी डाकघर- बैलपड़ाव जिला
नैनीताल का रहने वाला है। प्रार्थी के इलाके बैलपड़ाव तथा जिला
नैनीताल व जिला-उधमसिंह नगर के साँसद माननीय अजय भट
जी हैं। साँसद का आवास तथा मुख्य कार्यालय इस देश की राजधानी
वाला क्षेत्र दिल्ली माना जाता है। सन्-2019 के लोक सभा चुनाव के
बाद जब भारतीय जनता पारटी की तरफ से अजय भट जी एक सांसद का
चुनाव जीत गये थे तो उन्होंने अपने लोक सभा क्षेत्र की जनता की
समस्याओं को सुनने के लिए तथा उनके समाधान के लिए सन्-2022
तक जिला - नैनीताल तथा जिला उधमसिंह नगर में कोई भी कार्यालय
नहीं खोला था। और न जन्ता की समस्याओं को सुनने व उसका निराकरण
करने के लिए कोई आदमी या प्रतिनिधि रखा गया था।
केवल इतना ही सुनने में आता था कि कहीं कहीं सांसद प्रतिनिधि
हैं जो आदमी अपने को साँसद प्रतिनिधि बतलाते हैं। और वे
साँसद प्रतिनिधि भी गरीब जनता की बातें कम ही सुनते थे।
अजय भट जी को साँसद बनने के बाद पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री का
पद भी इन्हें दिया गया। प्रार्थी का कहने का अर्थ है कि साँसद
अजय भट जी ने जन्ता के बीच में जाकर जन्ता की समस्याओं
की तरफ अपनी रुचि नहीं रखी है। अब जब सन्-2024 में सरकार
अगली पंच वर्षिय योजना के लिए लोक सभा चुनाव कराने जा
रही है तो अजय भट जी सन्-2023 से कुछ कुछ जिला नैनीताल तथा
जिला उधमसिंह नगर में जा रहे हैं। अजय भट हिन्दू धर्म के
अनुसार जाति से ब्राह्मण हैं हिन्दू धर्म में क्षत्रिय या ठाकुर, वैश्य
तथा हरिजन या आर्य जाति के लोग भी आते हैं। इस जिला-नैनीताल
तथा जिला उधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति
ओ॰बी॰सी॰ तथा अल्प संख्यक जाति के लोग भी रहते हैं।
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आरक्षण
नीति के आधार पर अन्य जातियों के लोगों को भी आगामी लोक
सभा चुनाव में प्रत्याशी बनने का मौका दिया जाय। या फिर
कोई अन्य विधि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के कागजात
में अंकित है तो उसका वर्णन किया जाय।

Received Rs. 10/-
P.O.
18/9/23
गजेन्द्र सिंह

(9)

सांसद बनने के बाद सांसद उमीदवार को कौन-कौन से कार्य करने होते हैं इसकी कोई नियमावली अगर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में है तो उसका विवरण दिया जाय। राज्य निर्वाचन आयोग से छोटे तथा बड़े कार्यालयों का वरिष्ट अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर दिया जाय।

सूचना के अधिकार के द्वारा लिखे गये प्रार्थना पत्र का उत्तर दिया जाय। इसके अलावा अपिलीय अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर भी दिया जाय। लोक सूचना अधिकारी का सम्पर्क नम्बर दिया जाय।

सांसद को दी जाने वाली हर महिने की तनख्वाह, आवास के कमरे या मकान, गाड़ी आदि कहीं जाने के लिए उसका खर्च, सांसद के लिए चपरासी तथा अंग रक्षक व्यक्ति और अगर कोई अन्य सुविधा जो भी सरकार द्वारा दी जाती है उसका भी विवरण यदि इस राज्य ~~सूचना~~ निर्वाचन आयोग के कार्यालय के कागजात में है तो विवरण दिया जाय। सांसद बनने के लिए योग्यता आदि के बारे में जानकारी दी जाय। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में किन किन विषयों के बारे में कार्य किया जाता है। विवरण सरल हिन्दी भाषा में लिख कर दिया जाय।

प्रार्थी- किशनसिंह
ग्राम- पत्तापानी
डाकघर- बैलपड़ाव
जिला- नैनीताल
तारीख- 14-8-2023

पोस्टल आर्डर नम्बर- 1डी- 222 710 - कीमत-7 रुपया का पोस्टल आर्डर
2-बी- 834 710- कीमत दो रुपया
2 - 21 - 388

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551
election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या—1870/XXV—12(13)/2018 देहरादून : दिनांक 05 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

श्री किशनसिंह,
ग्राम पत्तापानी, डाकघर, बैलपड़ाव,
जिला नैनीताल।

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी/उपसचिव श्री राज्यपाल, सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—E 5859 दिनांक 20.9.2023 के साथ आपका अनुरोध पत्र दिनांक 09.09.2023 इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें मांगी गयी सूचनायें कार्यालय में धारित नहीं हैं।

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता—
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़,
देहरादून— 248001,
मो0नं0—9897995591

भवदीय,

B. S Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0—9411740189

प्राप्त - 21/09/23

सूचना का अधिकार

—पंजीकृत—

राजभवन

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड

(फोन न0 0135—2757400, 2757403 फैक्स 2757404)

संख्या E5859 / जी0एस0 / विविध / R-1(6) /2021

देहरादून : दिनांक : 20 सितम्बर, 2023

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषयः— **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा—6 (3) के अन्तर्गत सूचना का अन्तरण।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत श्री किशन सिंह, ग्राम पत्ता पानी, बैलपड़ाव, नैनीताल के आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2023, जो इस सचिवालय में दिनांक 18.09.2023 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवेदन पत्र में 02 बिन्दुओं में मुख्य रूप से आवेदक द्वारा सुझाई गई निर्वाचन की व्यवस्था को लागू करने एवं एक राजनैतिक पार्टी से कई लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ने की खुली व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना का अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा वांछित सूचना इस सचिवालय में धारित नहीं है। आवेदक द्वारा वांछित सूचनायें यद्यपि सुझावात्मक हैं तथापि इन सूचनाओं का सम्बन्ध निर्वाचन विभाग से होने के कारण आवेदन पत्र अधिनियम की धारा—06 (3) के अन्तर्गत आपको इस अनुरोध के साथ अन्तरित किया जा रहा है कि कृपया इस सम्बन्ध में कोई सूचना आपके विभाग में धारित हो तो नियमानुसार सूचनायें आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में 03 पृथक—पृथक पोस्टल आर्डर संख्या 2B 834714, 1D 222714, 21 388713 क्रमशः रू0 2.00, 7.00 एवं 1.00 रू0 कुल 10.00 रू0 जमा किया गया है।

संलग्नः— यथोक्त (आवेदन पत्र)

भवदीय,
20/9/23

(एन0के0 पोखरियाल)
उपसचिव श्री राज्यपाल / लोक सूचना अधिकारी,
मो0न0—9456590620 ई—मेल—nandkishorpokhriyal@gmail.com

प्रतिलिपि—

1— श्री किशन सिंह, ग्राम पत्ता पानी, डाकघर—बैलपड़ाव, नैनीताल को इस आशय से कि आप द्वारा चाही गई सूचनायें राजभवन में धारित नहीं हैं। उक्त सूचनायें निर्वाचन विभाग से सम्बन्धित होने के कारण आपका आवेदन पत्र उपरोक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी को आपको सूचना देने हेतु अन्तरित किया जा रहा है। कृपया सूचना से सन्तुष्ट न होने पर आप सम्बन्धित विभाग के अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

2— अनुभाग अधिकारी, लेखा अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय को सूचना हेतु प्राप्त 03 भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या 2B 834714, 1D 222714, 21 388713 क्रमशः रू0 2.00, 7.00 एवं 1.00 रू0 कुल 10.00 रू0 जमा करवाने का कष्ट करें।

3— अनुभाग अधिकारी / नोडल अधिकारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग, राज्यपाल सचिवालय, देहरादून।

(एन0के0 पोखरियाल)
उपसचिव श्री राज्यपाल / लोक सूचना अधिकारी।

458/20-90

R.T.I —

सेवा में
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
राज्य पाल कार्यालय
गढ़ी कैन्ट रोड
कार्यालय - देहरादून

प्राप्ति का दिनांक	क्रमांक	अनुभाग का नाम, जिसे आवेदन हस्तांतरित किया गया है।
10/9/23	86	विविध

महोदय,
निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम - प[illegible]पानी
डाकघर - बैलपड़ाव जिला - नैनीताल का रहने वाला है
1- प्रार्थी चाहता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश में जब भी विधानसभा
चुनाव होते हैं तो यहाँ पर उपस्थित कई राजनैतिक
पार्टियों के शीर्ष नेता ही विधान सभा का चुनाव लड़ने के
लिए अपनी पार्टी में से केवल एक ही व्यक्ति को टिकट
देकर चुनाव लड़ाती है। जबकि उस विधान सभा क्षेत्र में
एक ही पार्टी से कई लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं
इस समय इस प्रदेश में कई पार्टियाँ हैं- जैसे कांग्रेस पार्टी
भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज वादी पार्टी, समाज वादी
पार्टी, उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि।
उस पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा एक मीटिंग करने के पश्चात
अपनी पार्टी में से एक ही व्यक्ति को छाँट कर टिकट देकर
चुनाव लड़ाने से अन्य लोग जो विधायक का टिकट लेकर चुनाव
लड़ना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति रह जाते हैं। इस बड़े नेताओं द्वारा
छाटने की प्रक्रिया में अक्सर योग्य व्यक्ति रह जाता है जो कि
अपने सच्चे मन से जनता की सेवा करने के लिए विधायक
का टिकट लेना चाहता है और जनता को बड़े नेताओं द्वारा
थोपे हुए प्रत्याशी को अपना वोट देने के लिए मजबूर
होना पड़ता है।

RO/NO
[illegible]
10/11/23

अत श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन है
कि इस निर्वाचन सम्बन्धी उपरोक्त व्यवस्था को लागू किया
जाय बशर्ते कि चुनाव के समय सरकार कानून व्यवस्था को
मजबूत बनाये रखे यह कि एक ही पार्टी के

कई उम्मीदवारों में कोई वाद विवाद न हो।

2- विधान सभा चुनाव में बहुत से प्रत्याशी खड़े नहीं करने का कारण बतलाया जाय कि इस व्यवस्था से क्या हानि है। जबकि विकास खन्ड द्वारा ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पँचायत सदस्य के चुनाव के समय कई लोग टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। नगर पँचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका के चुनाव में तो कई लोगों द्वारा टिकट लेकर चुनाव लड़ने की व्यवस्था सरकार ने बनाई है।

इसके अलावा अपीलीय अधिकारी का पद, कार्यालय का पता तथा फोन नम्बर दिया जाय। श्रीमान लोक सूचना अधिकारी का फोन नम्बर दिया जाय।

सूचना के अधिकार के द्वारा लिखे गये प्रार्थना पत्र का उत्तर दिया जाय।

अतः श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय से निवेदन है कि एक ही राजनैतिक पारटी से कई लोगों को टिकट लेकर चुनाव लड़ने की एक खुली हुई व्यवस्था को बनाया जाय।

प्रार्थी -
किशनसिंह
ग्राम - पन्नापानी
डाकघर - बैलपड़ाव
जिला - नैनीताल

तारीख - 6-6-2023

पोस्टल आर्डर नम्बर — 1डी - 222718 - सात रुपया
2बी - 834718 - दो रुपया
2-21- 322713 - एक रुपया

अपीलीय अधिकारी/सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय देहरादून।

संख्या– 1978 xxv– 12(P-14) /2021 देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर, 2023

अपील संख्या–

अपीलकर्ता– श्री किशन सिंह,ग्राम–पत्तापानी,डाकघर–बैलपड़ाव,जिला–नैनीताल । उत्तराखण्ड।

उत्तरादाता– लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

आदेश

अपीलकर्ता श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, डाकघर–बैलपड़ाव, जिला–नैनीताल उत्तराखण्ड का अपीलीय पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1760 दिनांक 18 सितम्बर, 2023 द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2023 के अपरान्हः 2.00 बजे सुनवाई निर्धारित की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी द्वारा नियत समय पर प्रतिभाग किया गया है।

2– लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1501 दिनांक 25 अगस्त, 2023 द्वारा अपीलार्थी के अनुरोध पत्र दिनांक 09 अगस्त, 2023 में अंकित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि सन्दर्भित मामला परिसीमन आयोग भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन है

उक्तानुसार लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गयी सूचना सुसंगत है।

अतः तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी

पृ0संख्या– 1978 /xxv– 12(P-14) /2021 , तददिनांक।

प्रतिलिपि– 1–लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, सचिवालय परिसर देहरादून।

2–श्री किशन सिंह, ग्राम–पत्तापानी, डाकघर–बैलपड़ाव, जिला–नैनीताल उत्तराखण्ड।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एवं
विभागीय अपीलीय अधिकारी
मो0न0–9897995591